



आदेश क्रमांक 10/13-2015 प्रशा0 (4)

दिनांक, पंचकूला 18-05-2018

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/18/20187-4जी.एस.11 दिनांक 03/07.05.2018 जो कि हरियाणा सरकार द्वारा समय-2 जारी हिदायतों की अनुपालना बारे। पूर्व सैन्य सेवा का लाभ वर्तमान सेवा में लेने बारे है से सम्बन्धित है, निम्नलिखित को सुचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुरुग्राम।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
7. रजिस्ट्रार सैकेण्डरी शिक्षा।
8. अधीक्षक प्रशासन शाखा प्राईमरी।
9. पी0एस0/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
10. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशा0।
11. निजि सहायक/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
12. प्राशासन शाखा में कार्यरत सभी सहायक।
13. आई.टी सैल- वेबसाईट पर अपलोड करने बारे।

अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला।

पत्र क्र० 1/18/2018-4जी.एस.।।

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष।

चण्डीगढ़, दिनांक: 03-05-2018

०७

विषय:

हरियाणा सरकार द्वारा समय-2 जारी हिदायतों की अनुपालना बारे।
पूर्व सैन्य सेवा का लाभ वर्तमान सेवा में लेने बारे।

5.18
महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाऊं और कहूं कि सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ विभाग हरियाणा सरकार द्वारा भू0पू0 सैनिकों से सम्बन्धित CL, EL, ACP तथा Seniority का लाभ देने बारे समय-2 पर जारी हिदायतों की अनुपालना नहीं करते हैं। जिस कारण आमजन तथा सरकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कत महसूस होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों की दृढ़तापूर्वक परिपालना की जाए।

2. कृपया इसे अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।

Jamail

अवर सचिव प्रोटोकॉल

कृते:मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

65



U4339
14/5/18

M
J
S. Admin

4
14/5/18